33/19

Rcm
2019/00/00

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

लक्ष्मीनारायण बनाम घासी

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र धारा 144 सी.पी.सी. न0.....33....... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
[illegible].05.19	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ख0न0 809, 810, 800, 806, 787, 798, 799, 801, 805, 807, 808 कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा वाकै ग्राम–काशीपुरा तह0–पीपलू में स्थित हैं। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के आदेश से घासी, चौथमल, प्रभु, पिसरान् श्रवण घीसी पुत्री श्रवण सुजा बेवा श्रवणलाल जाति–मीना निवासी ग्राम काशीपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया था। दिनांक 03.07.2012 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। जिसे दिनांक 21.012.2017 को निर्णय कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया है। जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। जहॉ पर 12.09.2018 को राजीनामा हो जाने से अपील नम्बर 7343/2017 विड्रो कर ली गई। इस कारण दिनांक 03.07.2012 को पारित निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी पीपलू प्रभावहीन हो चुकी हैं और रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती को कायम किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के नामान्तकरण की अपील 02/2007 पेश की थी। जिसका निर्णय 31.07.2007 को किया जाकर तहसीलदार जी पीपलू को विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण का निर्णय करने का आदेश दिया था। इस कारण वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावें। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों व संलग्न निर्णय की प्रतियों व धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र न्यायहित में विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि वे राजस्व रिकॉर्ड में निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2012 से पूर्व की स्थिती अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को कायम करें विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज करें। तहसीलदार पीपलू को तहरीर जारी हो। प्रा0पत्र निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलू	